


माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई, 2013

विज्ञप्ति

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मान. उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा याचिका क्रमांक 1134/13 मनोज कुमार व अन्य विरुद्ध मण्डल एवं रिव्यू पिटीशन क्रमांक 182/13 में पारित आदेश के अनुक्रम में डी.एड. परीक्षार्थियों की अंकसूचियों में नामांकन क्रमांक अंकित करते हुए एवं रिमार्क हटाते हुए अंकसूचियाँ जारी कर दी गई है, जो शीघ्र ही संस्थाओं को उपलब्ध होंगी।



सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल